रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

2/1/81

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 410] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 1981/भाद्र 13, 1903
No. 410] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 1981/BHADRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1981

का. आ. 685(अ)/18-चक/18/ककक/उ.वि.वि.अ./81.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.आ.128(अ)/18-चक/18-कक/उ.वि.वि.अ./73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध 5 मार्च, 1973 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 146 (अ)/18चक/18ककक/उ.वि.अ./78, तारीख 3 मार्च, 1978 1978 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का, 5 मार्च, 1978 से दो वर्ष की और अवधि के लिए, प्रबन्ध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि सर्व साधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति पूर्वोक्त सात वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबंध एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ;

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 29 फरवरी, 1980 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध दो वर्ष की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 145 (अ)/18-चक/18-कक/उ. वि. वि. अ./80, तारीख 5 मार्च, 1980 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का 5 मार्च, 1980 से एक वर्ष की और अवधि के लिए, प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया है ;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 144(अ)/18चक/18फक/उ.वि.वि.अ./81 तारीख 4 मार्च, 1981 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का 5 मार्च, 1981 से छह मास की और अवधि के लिए प्रबन्ध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18-फक के साथ पठित धारा 18-चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह 5 सितम्बर 1981 से आरम्भ होने वाली छह मास की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे ।

[फा. सं. 2(1)/80-सीयूएस]

सी. के. मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th September, 1981

S.O. 685(E)/18FA/18AA/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)|18FA|18AA|IDRA|73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA/IDRA/78, dated the 3rd March, 1978, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years from the 5th March, 1978 ;

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the period of seven years aforesaid, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year ;

And, whereas, the said High Court, by its Order dated the 29th February, 1980, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 145(E)/18FA/18AA/IDRA/80 dated the 5th March, 1980, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year from the 5th March, 1980 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 144(E)/18FA/18AA/IDRA/81 dated the 4th March, 1981, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months from 5th March, 1981 ;

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months commencing from the 5th September, 1981.

[F. No. 2(1)/80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981